जनपद हमीरपुर

दिनांक - 23.06.2026

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालयीन पैरवी करने वाले पैरोकारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित।

आज दिनांक 23.06.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा जनपद के विभिन्न पुलिस थानों एवं कार्यालयों से माननीय न्यायालयों में नियुक्त पैरोकारों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना।

बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी पैरोकारों से उनके कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा न्यायालयों में विचाराधीन महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक पैरोकार अपने-अपने थानों एवं संबंधित विवेचकों के साथ सतत समन्वय बनाए रखें, ताकि न्यायालय द्वारा मांगे गए अभिलेख, साक्ष्य एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समय से उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में गवाहों की समय पर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने, न्यायालय द्वारा जारी समन, वारंट एवं अन्य आदेशों का समयबद्ध अनुपालन कराने तथा लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पैरोकारों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक वाद की प्रगति का नियमित अभिलेखीकरण करें तथा अभियोजन अधिकारियों एवं संबंधित विवेचकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के माध्यम से अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक पैरोकार को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करना होगा। उन्होंने निर्देशित किया कि गंभीर अपराधों, महिला एवं बाल अपराध, संगठित अपराध तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के अंत में सभी पैरोकारों को न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं समन्वय बनाए रखते हुए अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा अपराधियों को विधिसम्मत दंड दिलाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं परिणाममुखी बनाया जा सके।